

(अपील संख्या एस-11-ए-0407/2024)

श्री दिनेश कुमार मौर्य बनाम ज0सू0अ0 उ0प्र0 कोऑपरेटिव बैंक, लि0, जनपद-लखनऊ।
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 राज्य सूचना आयुक्त।

आदेश

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अपीलार्थी अनुपस्थित हैं। विपक्षी की ओर से श्री जुगल किशोर सिंह, प्रबन्धक/जनसूचना अधिकारी, उ0प्र0 कोऑपरेटिव बैंक, लि0, जनपद-लखनऊ एवं श्री अवधेश शुक्ला, अधिवक्ता उपस्थित हुए।

उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या-11464/2025 Birendra yadav Vs. Chief Information Commissioner Thru. Secy. Vibhuti Khand Nagar Lko And 3 Others में मा0 उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ, लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 18.12.2025 में निर्देशित किया है कि—

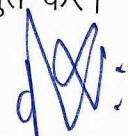
"This petition is disposed of with a direction to the respondent no. 5 to pass an appropriate orders taking into account the objections raised by the petitioner on the next date fixed i.e. 31.12.2025. Till such order is passed by the respondent no.5, the order impugned shall remain in abeyance."

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत द्वितीय अपील दिनांक 31.12.2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, किन्तु जनसूचना अधिकारी उ0प्र0 कोऑपरेटिव बैंक, लि0, जनपद-लखनऊ के प्रतिनिधि श्री अवधेश शुक्ला, अधिवक्ता ने इस आशय का पत्र प्रस्तुत किया कि वे दिनांक 31.12.2025 से 02.01.2026 तक मुख्यालय से बाहर होने के कारण दिनांक 31.12.2025 को उपस्थित होने में असमर्थ हैं। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रकरण में नियत तिथि दिनांक 31.12.2025 को स्थगित करते हुए दिनांक 07.01.2026 की तिथि नियत की गई।

जनसूचना अधिकारी उ0प्र0 काऑपरेटिव, बैंक, लि0, जनपद-लखनऊ ने अपनी आपत्ति दिनांक 28.07.2025 में यह उल्लेख किया है कि अपीलार्थी ने जिस एस0आई0टी0 रिपोर्ट की छायाप्रति मांगी है, वह "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" धारा-8(1)(g)(j)(h) के अन्तर्गत उन्हें देय नहीं है।

अतः न्यायहित में जनसूचना अधिकारी उ0प्र0 काऑपरेटिव, बैंक, लि0, जनपद-लखनऊ से अपेक्षा की जाती है कि अपीलार्थी के मूल आवेदन पत्र में उल्लिखित एस0आई0टी0 रिपोर्ट की छायाप्रति बंद लिफाफे में आयोग के परिशीलन हेतु प्रस्तुत करें।

वाद सुनवाई के लिए दिनांक 10.02.2026 को प्रस्तुत हो।


07.01.2026